संख्या– /XXX(2)/17/30(5)/2014-TC

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव,
प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 27 अक्टूबर, 2017

विषयः– राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में दिव्यांगों के लिए निर्धारित 03 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 04 प्रतिशत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–1144/कार्मिक–2–2001–53(1)2001 दिनांक 18.7.2001 के द्वारा राज्याधीन सेवाओं में विकलांगों (परिवर्तित नाम दिव्यागों) को 03 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा शासनादेश संख्या–196/XVII-2/2011-29 (स०क०)/2003 दिनांक 25.03.2011 के द्वारा पदों का चिन्हांकन किया गया है। शासनादेश संख्या–1673/XXX(2)/2010 दिनांक 10.11.2010 के द्वारा विकलांगों (परिवर्तित नाम दिव्यागों) को सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति में आरक्षण की अनुमन्यता एवं तत्संबंधी प्रक्रिया तथा आरक्षण संबंधी रोस्टर के क्रियान्वयन इत्यादि बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29.12.2005 एवं दिनांक 26.04.2008 को तद्नुसार प्रदेश सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्तियों/पदोन्नतियों में लागू किया गया है।

2. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–49 वर्ष, 2016) की धारा 34की उपधारा (1) में सरकारी सेवाओं में दिव्यांगों के आरक्षण के संबंध में निम्नवत् व्यवस्था की गयी हैः–

"Every appropriate Government shall appoint in every Government establishment not less than **four percent** of the total number of vacancies in the cadre strength in each group of posts meant to be filled with persons with benchmark disabilities of which, one percent, each shall be reserved for persons with benchmark disabilties under clauses (a), (b) and (c) and one percent, for persons with benchmark disabilities under clauses (d) and (e), namely:-

(a) blindness and low vision (अंधता और निम्न दृश्यता)।

(b) deaf and hard of hearing (बधिर और कम सुनाई देना)।

(c) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy (चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत परा–मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ रोग, बौनापन, अम्ल हमले से पीड़ित और पेशीय दुर्विकास है।)

(d) autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness (आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग।)

(e) multiple disabiltites from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf- blindness in the posts identified for each disability. (स्तम्भ (1) से (4) के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत बधिर–अंधता है।)"

3. इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिव्यागजन अधिकार अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–49 वर्ष, 2016) की धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन राज्यपाल, उत्तराखण्ड की राज्याधीन सेवाओं में उत्तराखण्ड राज्य के दिव्यांगों को अनुमन्य 03 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के स्थान पर 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, उक्तानुसार "निर्देश–चिह्न दिव्यांगजन" को अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या 312 (1) /XXX(2)/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त कुमाँऊ मण्डल एवं गढ़वाल मण्डल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. आयुक्त, निःशक्तजन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. अधिशासी निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गाई फाईल।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव